झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) के अध्याय-VI, की धारा-30 का संशोधन ।

3. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-53 का संशोधन ।

4. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-65 (2) का संशोधन ।

5. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-75 का संशोधन ।

6. निरसन एवं व्यावृत्ति

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के 57वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः-

(i) यह अधिनियम ''झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम- 2006'' कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) के अध्याय-VI, की धारा-30 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की इस धारा के पहले वाक्य जो ''समय-समय पर अधिसूचित किये जायें'' के साथ समाप्त होता है के तुरंत बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

''परन्तु यह कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह घोषणा कर सकेगी कि इस अध्याय के किसी भी अथवा सभी प्रावधानों की शक्ति का प्रयोग, अधिसूचना में उल्लिखित ऐसे मामलों में और ऐसे शर्त्तों के अधीन किया जा सकेगा, जो इसमें विनिर्दिष्ट हो तथा प्राधिकार की शक्ति इस सीमा तक निष्प्रभावी रहेगी ।''

3. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-53 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की धारा-53 में उल्लेखित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुकों को जोड़ा जायगा, यथा :-

''परन्तु यह भी कि, राज्य सरकार ऐसे किसी एजेन्सी को निर्देशित कर सकेगी कि इस प्रयोजन हेतु प्रमाण-पत्र की बाध्यता नहीं होगी ।''

''परन्तु यह भी कि, किसी भवन के दखलकार को जल संयोजन मात्र से इस अधिनियम में किसी अन्य प्रावधान से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी ।''

4. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-65(2) का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की इस धारा में शब्द "सामान्य नीति" के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा :-

"एवं अध्याय-VI में वर्णित विषय जो शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद-243 (W) में की गई हो ।"

5. झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) की धारा-75 का संशोधन :-

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 की इस धारा में दूसरा शब्द "प्राधिकार" के तुरंत बाद निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा :-

"अथवा राज्य सरकार"

6. निरसन एवं व्यावृति :-

(i) निरसनः-झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (झारखण्ड अध्यादेश, 02, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) व्यावृत्तिः-ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी मानो, यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्यवाही की गयी थी ।

यह विधेयक झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 22 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)25--50--22-8-2006 ।